

राजस्थान-सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

क्रमांक प01/प्रति-1/चिकि./नियु./450/2020/14180

दिनांक: 22-7-22

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 13513 दिनांक 15.07.2022 के द्वारा राज्य सरकार के पत्रांक प.10(03)आयु./2021 दिनांक 13.07.2022 के क्रम में विज्ञप्ति संख्या 1/2020 एवं 1/2021 के अन्तर्गत जारी नियुक्ति/पदस्थापन आदेश दिनांक 20.10.2021 के तहत पीजी अध्ययनरत होने के कारण कार्यग्रहण नहीं करने वाले 06 अभ्यर्थियों को चिकित्साधिकारी पद पर 07 दिवस में कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

जिसके क्रम में उक्त कार्यग्रहण अनुमति की अवधि को दिनांक 01.08.2022 तक बढ़ायी जाती है।

नोट:- नियुक्ति आदेश दिनांक 20.10.2021 एवं राज्य सरकार के पत्र दिनांक 01.11.21 में वर्णित शर्तों की पालना सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् ही कार्यग्रहण कराया जावे।


(डॉ आनन्द कुमार शर्मा)
निदेशक

क्रमांक प01/प्रति-1/चिकि./नियु./450/2020/14180

दिनांक: 22-7-22

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. कुल सचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर
4. प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर।
5. मुख्यलेखाधिकारी, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
6. उपविधि परामर्शी, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
7. अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा।
8. उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग, भीलवाडा/पाली/बांसवाडा/डूंगरपुर/बांरा को दी जाकर निर्देशत किया जाता है कि नियुक्ति आदेश दिनांक 20.10.2021 एवं राज्य सरकार के पत्र दिनांक 01.11.21 में वर्णित शर्तों की पालना सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् ही कार्यग्रहण कराया जावे।
9. प्रोग्रामर, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
10. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को विभाग की वेबसाईट <http://www.ayurved.rajasthan.gov.in> के माध्यम से सूचनार्थ।
11. सामान्य पत्रावली


निदेशक